कुरुक्षेत्र

सहकारिता और खाद्य सुरक्षा

- खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय विकास का अभिन्न अंग है और इसका सीधा संबंध गरीबी उन्मूलन, पोषण संबंधी परिणामों व ग्रामीण आजीविका से है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा परिभाषित, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच, खाद्य सुरक्षा सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी. 2 - शून्य भूख) के मुख्य घटकों में से एक है।
- भारत में, खाद्य सुरक्षा को न केवल कम कृषि उत्पादकता बल्कि, कटाई के बाद अपर्याप्त भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमता और उच्च खाद्य अपव्यय से भी चुनौती मिलती है।
- सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) - समावेशी खाद्यान्न भंडारण और खरीद के लिए एक प्रमुख वाहन के रूप में उभरी हैं, खासकर सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (2023) के शुभारंभ के बाद।

भंडारण विरोधाभास : उच्च उत्पादन, कम क्षमता

- भारत वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। हालाँकि, एक बड़ी बाधा अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना है, जो खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को कमज़ोर करती है।
- **वैश्विक खेती योग्य भूमि में भारत का हिस्सा :** 11% (138 करोड़ हेक्टेयर में से 16 करोड़ हेक्टेयर)

- **वैश्विक जनसंख्या में भारत का हिस्सा :** 18% (790 करोड़ में से 140 करोड़)
- **कुल खाद्यान्न उत्पादन (2021) :** 311 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)
- **मौजूदा भंडारण क्षमता :** 145 MMT
- **भंडारण की कमी :** 166 MMT
- **भंडारण अंतराल :** 47%
- **कटाई के बाद होने वाले नुकसान :** सालाना 10-15%
- **आर्थिक नुकसान :** ₹90,000 करोड़ प्रतिवर्ष (गुलाटी एट अल., 2024)
- उत्पादन और भंडारण के बीच यह बेमेल संकटपूर्ण बिक्री, खाद्यान्न की बर्बादी, किसानों को कम कीमत मिल पाती है और भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर बोझ बढ़ जाता है, जिसके गोदामों का अक्सर अधिक उपयोग हो जाता है, जिससे अनाज की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ढुलाई लागत बढ़ जाती है।

दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (2023)

- भंडारण घाटे और खाद्य अपव्यय को संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की।
- **प्रारंभ :** 31 मई, 2023 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू
- **प्रस्तावित निवेश :** ₹1.25 लाख करोड़
- **भंडारण क्षमता लक्ष्य :** 5 वर्षों में 700 लाख टन (70 MMT)
- **कार्यान्वयन भागीदार :** भारत भर में 67,000 क्रियाशील PACS

2025 तक की प्रगति

- 11 राज्यों की 11 PACS में गोदामों का निर्माण।
- 500 PACS में आधारशिला रखी गई।
- 576 PACS ने निर्माण शुरू किया।
- **PACS का कंप्यूटरीकरण :** 67,930 PACS में पूरा हुआ।
- **संचालनशील PACS :** 43,658
- यह पहल विकेंद्रीकृत है और इसका उद्देश्य स्थानीय गोदामों का निर्माण करना है, जिससे किसान घर के करीब उपज का भंडारण कर सकें, जिससे परिवहन लागत और लागत दोनों में कमी आए। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करना और सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना।

PACS की भूमिका और क्षमता

- PACS भारत की सहकारी ऋण संरचना में ज़मीनी स्तर की संस्थाएँ हैं। वे ग्रामीण किसानों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में काम करते हैं, ऋण, इनपुट, खरीद और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में PACS की संख्या 1.1 लाख से अधिक है, जिसमें लगभग 130 मिलियन किसान हैं।

खाद्य सुरक्षा में PACS के कार्य

- MSP पर अनाज की सीधी खरीद
- कृषि-इनपुट और सलाहकार सेवाओं का प्रावधान
- स्थानीयकृत अनाज भंडारण, FCI पर निर्भरता कम करना
- छोटे और सीमांत किसानों को मूल्य सुरक्षा के साथ सशक्त बनाना
- e-NAM प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग को सक्षम बनाना

सहकारी समितियों की सफलता

- **तमिलनाडु :** सहकारी समितियाँ 94% उचित मूल्य की दुकानों का प्रबंधन करती हैं।
- **अमूल :** सहकारी मॉडल ने भारत के डेयरी क्षेत्र में क्रांति ला दी।
- **मदर डेयरी :** विनियमित कीमतों पर दूध/सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराती है।
- **महाराष्ट्र अनाज बैंक :** आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनाज में ऋण मॉडल।
- **NAFED :** राष्ट्रीय बफर स्टॉक (जैसे, दालें, प्याज) बनाए रखना।

सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण

- अनाज भंडारण पहल को भारत सरकार की कई योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समर्थन दिया जाता है, जिससे इष्टतम संसाधन उपयोग और संस्थागत तालमेल सुनिश्चित होता है।

योजना	उद्देश्य
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)	1 लाख करोड़ रुपये का कोष, 3% ब्याज अनुदान (2 करोड़ रुपये की सीमा, 7 वर्ष), मई 2020 में लॉन्च किया गया।
कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)	पैक्स गोदाम निर्माण के लिए 33% सब्सिडी
पी.एम.एफ.एम.ई. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण	पैक्स-स्तरीय प्रसंस्करण के लिए क्षमता निर्माण और सहायता

एस.एम.ए.एम. (कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन)	पैक्स भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उपकरण सहायता
राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास योजना	नाशवान वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना।
नाबार्ड	पैक्स के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान
ग्रामीण भंडारण योजना	ग्रामीण गोदाम विकास

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- इसके परिवर्तनकारी होने के बावजूद संभावित रूप से, इस पहल को कई परिचालन और संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो निम्नलिखित हैं-
- **बहु-एजेंसी समन्वय :** सहकारी समितियों, राज्य विभागों और वित्तीय संस्थानों के बीच ओवरलैप व देरी।
- **भूमि उपलब्धता :** विशेष रूप से घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में; पंचायतों के साथ भूमि पूलिंग की आवश्यकता है।
- **समय पर धन वितरण :** परियोजना में देरी को रोकने के लिए आवश्यक है।
- **PACS अवशोषण क्षमता :** वित्तपोषण से पहले क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता।
- **जनशक्ति और प्रशिक्षण की कमी :** सूची, गुणवत्ता, डिजिटल खरीद के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।
- **परिचालन शासन जोखिम :** पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता के आसपास के मुद्दे।

शासन और निगरानी तंत्र

- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एक बहु-स्तरीय शासन ढाँचा स्थापित किया गया है।
- **राष्ट्रीय स्तर :** रणनीतिक निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति
- **राज्य स्तर :** राज्य सहकारी विकास समितियाँ
- **ज़िला स्तर :** ज़िला सहकारी विकास समितियाँ

डिजिटल डैशबोर्ड निगरानी

- PACS का कंप्यूटरीकरण वास्तविक समय पर नज़र रखने की अनुमति देता है।
- इन्वेंट्री प्रबंधन, खरीद विश्लेषण के लिए ए.आई. एकीकरण।
- ई-एन.ए.एम. पारदर्शी और प्रत्यक्ष व्यापार को सक्षम बनाता है।

क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन

- **प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ :** डिजिटल साक्षरता, इन्वेंट्री नियंत्रण, भंडारण तकनीक, नियामक अनुपालन।
- **जागरूकता अभियान :** किसानों को शामिल करना और पी.ए.सी.एस-प्रबंधित गोदामों में विश्वास पैदा करना।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

- खाद्य सुरक्षा में बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण शामिल हैं। यह पहल निम्नलिखित दोनों को मज़बूत करती है-
- ज़मीनी स्तर पर नियंत्रित भंडारण सुविधाएँ
- अपव्यय में कमी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार

- किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय स्थिरता
- पी.एम.-किसान (आय सहायता), पी.एम.एफ.बी.वाई. (फसल बीमा) और ई-एन.ए.एम. (पारदर्शी मूल्य निर्धारण) के साथ एकीकरण

सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में योगदान

SDG	योगदान
SDG 1 : गरीबी उन्मूलन	बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि
SDG 2 : शून्य भूख	स्थानीय भंडारण और खाद्यान्न पहुँच को मज़बूत करता है।
SDG 8 : उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि	स्थानीय स्तर पर गोदाम नेटवर्क रोज़गार के अवसर
SDG 9 : उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढाँचा	विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना का निर्माण करता है।
SDG 12 : ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन	फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करता है और कार्यकुशलता को बढ़ाता है।
SDG 13 : जलवायु कार्रवाई	परिवहन पर भार कम होने से खाद्य प्रणाली अधिक जलवायु लचीली बनेगी।
SDG 17 : लक्ष्यों के लिए साझेदारी	यह पहल कई हितधारकों को जोड़ेगी और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

- PACS के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भंडारण को विकेंद्रीकृत करके, सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करती है। समय पर धन प्रवाह, अंतर-एजेंसी समन्वय, भूमि तक पहुँच और क्षमता निर्माण सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 'सहकार से समृद्धि' दृष्टि के साथ संरेखित, यह समुदाय-नेतृत्व वाला मॉडल फसल-उपरांत प्रबंधन और ग्रामीण विकास के लिए एक स्थायी और अनुकरणीय ढाँचा प्रदान करता है।

- सहकारिता के माध्यम से समावेशी ग्रामीण विकास
- कृषि पर आधारित भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रणालीगत चुनौतियों का सामना कर रही है - कम उत्पादकता, छोटी जोत, इनपुट तक सीमित पहुँच और खराब बाज़ार संपर्क।
- इन मुद्दों को हल करने के लिए सशक्तीकरण, भागीदारी और समावेशन केंद्रीय होना चाहिए।
- भारत में गहरी जड़ें रखने वाली सहकारी समितियाँ और कृषि सामूहिक, समावेशी व सतत् ग्रामीण विकास के लिए एक परिवर्तनकारी मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

सहकारिता का महत्त्व

- **कृषि की रीढ़ :** ग्रामीण भारत में अधिकांश लोगों को कृषि रोज़गार देती है, लेकिन विखंडित जोत और संसाधन की कमी से बाधित है।
- **सामूहिक शक्ति :** सहकारी समितियाँ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ प्रदान करती हैं, ऋण, इनपुट, बुनियादी ढाँचे और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती हैं व किसानों की सौदेबाज़ी की शक्ति में सुधार करती हैं।
- **समग्र विकास :** वे समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव-विविधता संरक्षण और स्थायी कृषि के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देते हैं।
- **लोकतांत्रिक लोकाचार :** सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक भागीदारी, सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देने, साझा ज़िम्मेदारी और समावेशी विकास पर आधारित हैं।

संस्थागत और नीतिगत समर्थन

- **आपूर्ति-अग्रणी मॉडल की सीमाएँ :** किसान-नियंत्रित संस्थानों की कमी के कारण पारंपरिक टॉप-डाउन मॉडल विफल हो गया है।
- **परिवर्तन की आवश्यकता :** सहकारी समितियों का कायाकल्प खाद्य सुरक्षा, रोज़गार, जलवायु लचीलापन और ग्रामीण समृद्धि को सक्षम करने की कुंजी है।
- **सहकारिता मंत्रालय (2021) का निर्माण :** यह राष्ट्रीय विकास रणनीति में सहकारी समितियों को मुख्यधारा में लाने के सरकार के इरादे को दर्शाता है।

सहकारी-नेतृत्व वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विज़न

- **ग्राम-स्तरीय सहकारी समितियाँ :** प्रत्येक गाँव में एक बहु-क्रियाशील कृषि सहकारी समिति होनी चाहिए जो सभी आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करे।
- **उच्चस्तरीय सहकारी समितियाँ :** भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं के साथ क्लस्टर-आधारित बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ।
- **डिजिटल सहकारी नेटवर्क :** राष्ट्रीय सहकारी खाद्य नेटवर्क बनाने के लिए 7 लाख ग्राम सहकारी समितियों को 3.5 लाख उच्चस्तरीय सहकारी समितियों से जोड़ा गया।
- **शासन में भूमिका :** सहकारी समितियों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने का काम सौंपा जा सकता है, जिससे सरकार पर राजकोषीय बोझ कम होगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

- **कम लागत और अपव्यय :** सहकारी समितियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद से खाद्यान्न की हानि समाप्त होगी, उचित मूल्य सुनिश्चित होगा और उत्पादन लागत कम होगी।
- **रोज़गार सृजन :** विकेंद्रीकृत मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण से ग्रामीण रोज़गार सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- **सशक्त किसान :** सामूहिक विपणन और सेवाओं के माध्यम से किसानों को आवाज़, विकल्प और मूल्य मिलेगा।
- **सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना :** सहकारी समितियाँ विश्वास और साझा उद्देश्य का निर्माण करती हैं, जो सांप्रदायिक शांति और लचीलापन बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **सहकारी विवेक को पुनर्जीवित करना :** सहकारी कामकाज में लोकतांत्रिक चरित्र और जवाबदेही को बहाल करना।
- **ऊर्ध्वाधर एकीकरण की आवश्यकता :** अधिक तालमेल और प्रभाव के लिए खंडित, क्षैतिज मॉडल से एकीकृत प्रणालियों में बदलाव।
- **नवीन और उत्तरदायी सहकारी समितियाँ :** सहकारी समितियों को बाज़ार की मांगों और सदस्यों की अपेक्षाओं के साथ विकसित होना चाहिए, नई वित्तीय रणनीतियों व डिजिटल उपकरणों को अपनाना चाहिए।
- **एकीकृत संस्थागत ढाँचा :** विशाल सहकारी नेटवर्क (8 लाख इकाइयाँ) का एक सामान्य डिजिटल और प्रबंधन प्लेटफॉर्म में एकीकरण।

निष्कर्ष

- सहकारिताएँ केवल आर्थिक संस्थाएँ नहीं हैं, वे सामूहिक सशक्तीकरण, पारिस्थितिकी प्रबंधन और सामाजिक सद्भाव के साधन हैं। आत्मनिर्भर, समावेशी और टिकाऊ भारत को प्राप्त करने के लिए सहकारी मॉडल को मज़बूत करना आवश्यक है। जैसा कि गांधीजी ने कल्पना की थी, भारत का विकास उसके गाँवों से प्रवाहित होना चाहिए और सहकारी समितियाँ इस परिवर्तन के लिए सबसे स्वाभाविक और प्रभावी साधन हैं।